

भारत लीचर निगम लिमिटेड

भारत सरकार का उपक्रम

अग्रिम अनुभाग

.....

उच्च शिक्षा के प्रयोजन के लिए स.भ. नि. से अंतिम रूप से पैसा निकालने के लिए आवेदन पत्र

1. अर्थादाता का नाम :
2. पदनाम :
3. वेतन {मंहगाई वेतन सहित, यदि कोई हो} :
4. भविष्यनिधि लेखा संख्या :
5. आवेदन की तारीख को अर्थादाता के खाते में जमा शेष {संलग्न गणना में दिए गए विवरण के अनुसार} :
6. अपेक्षित धनराशि :
7. { } प्रयोजन जिसके लिए धनराशि की आवश्यकता है ।
 - { } जिस व्यक्ति के लिए अंतिम रूप से पैसा निकाला जा रहा है उसके संबंध में ।
 - { } उस व्यक्ति द्वारा किया गया विभिन्न पाठ्यक्रम और संस्थान का नाम तथा संस्थान कहां पर स्थित है ।
 - { } क्या यह पाठ्यक्रम हाई स्कूल के बाद तीन वर्ष से अधिक का है ।
 - { } क्या इस चालू वर्ष में पहली बार अंतिम रूप से पैसा निकाला जा रहा है अथवा दूसरी बार ?
 - { } इस प्रयोजन के लिए अंतिम रूप से पैसा निकाले गए अथवा लिए गए अग्रिम की पिछली ता.
 - { } क्या यह आवेदन पहले लिए गए अग्रिम धनराशि का अंतिम निकासी में परिवर्तित करने के लिए है ।
 - { } लिए गए अग्रिम का विवरण { भुगतान की राशि और तारीख }
 - { } जिस धनराशि को अंतिम निकासी में परिवर्तित करना है, उसका बकाया शेष धनराशि ।
8. { } सेवा की अवधि { अलग-अलग अवधियों को मिलाकर यदि कोई हो }
- { } आवेदन की तारीख को अधिवार्षिका की आयु प्राप्त करने के लिए अपेक्षित सेवा अवधि ।

अधिवारिता की तारीख :

9. पिछली अंतिम निकासी का प्रयोजन और धनराशि, वह धनराशि किस कार्यालय द्वारा संस्वीकृति की गई थी, तथा इसका भुगतान किस महीने किया गया था।

आवेदक के इम्तादार :
पदनाम :
अनुभाग :
फोन नं. :

दिनांक :

मद संख्या 3 से 5 तक में दिए गए विवरणों को सत्यापित कर दिया गया है और इन्हे सही पाया गया है।

अनुभाग अधिकारी § वैतन बिल/रौकड़/ ले.अ. § रौकड़ §

मद संख्या 8 § 1 § 1 § 9 का सत्यापन कर लिया गया है और उन्हे सही पाया गया है।

अनुभाग अधिकारी § सी.एस.एस./कार्मिक-1, 11/पेशन/ए सण्डर्ड/एस.ई.ए.

प्रमाणित किया जाता है कि मैं सामान्य भविष्य निधि § सिविल सेवा § नियमावली 1960 के नियम 15 के खण्ड § 1 § ख § में विहित शर्तों के मामले में अपनी सतुष्टि कर ली है।

अनुभाग अधिकारी § ज्ञा एवं अग्रिम §